

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक - 1595/2ई0व0भू0,
सेवा में,

दिनांक 27 /06/2019

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय :- जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगोव-सलिया-जग्यूडाबास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 है0 वन भूमि के सम्बंध में। प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/16904/2015)

सन्दर्भ :- Online Objection Dated 08-02-2019

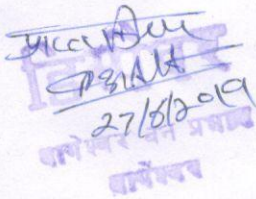
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें, भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निस्तारण आख्या निम्न प्रकार है :-

क्र०सं	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	In the village wise breakup, the name of villages affected are shown as Nargoli, Simayal, Bhandarisera, Saliya, Kafali and Jagura but in FRA only village Nargoli is mentioned.	VLC of villages Simayal, Bhandarisera, Saliya, Kafali and Jagura are prepared and filled online part-I.
2	Density mentioned is 0.3 but rate charged for dense forest in NPV calculation sheet.	Action taken from your end please
3	As per DSS analysis CA area is overlapping with the area proposed for CA for some other proposal (Online No. FP/UK/other 18392/2016)	CA map has been changed and uploaded in part-I & authenticated by DFO hard copy is enclosed.

Therefore, you are request to upload the same from your end please.

Encl: FRA & CA Map.


27/6/2019
बागेश्वर

q/c


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Memo

Dated- 30-10-2013

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.4342 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Nargoli-Simayal-Bhandariga-Saliya-Jagurabas motor road in Bageshwar district falls within jurisdiction of Nargoli, Simayal, Bhandariga, Saliya and Kafali villages in Kanda Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.4342 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-4.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 30-10-2013

Signature



(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal



(Full name and official seal of the District Collector)

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 30.10.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.10.2015 द्वारा नरगोली-सिमायल-भंडारीमेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, द्वारा नरगोली-सिमायल-भंडारीमेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर नरगोली-सिमायल-भंडारीमेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा नरगोली-सिमायल-भंडारीमेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीगांव-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भंडारीगांव-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है० सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4342 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.10.15 के सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम एवं लोक के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
वि०ख०/जनपद-बागेश्वर

.....
वन पंचायत नरगोली
जिला- बागेश्वर

.....
ह०/
ग्राम पंचायत नरगोली
वि०ख०/जनपद-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीगांव-
सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 21/10/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नरगोली

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मानिल शैतेला	Kantela
2	महेन्द्र शैतेला	Kantela
3	मानिल शैतेला	Kantela
4	दीवान राय	दीवान राय
5	माधवी नन्द पन्त	Maunat
6	नवीन चन्द पन्त	नवीन
7	अमित पन्त	Amit
8	शैतेला शैतेला	शैतेला
9	मानिल शैतेला	मानिल
10	मानिल शैतेला	मानिल
11	दीपती देवी	दीपती देवी
12	मानिल शैतेला	मानिल
13	सावित्री शैतेला	सावित्री शैतेला
14	मानिल शैतेला	मानिल
15	मानिल शैतेला	मानिल
16	मानिल शैतेला	मानिल
17	मानिल शैतेला	मानिल

18 पुष्पा शैतेला

ग्राम पंचायत नरगोली
क्षेत्र नरगोली
जिला बागेश्वर

मानिल
सरपंच
ग्राम पंचायत नरगोली
जिला बागेश्वर

मानिल शैतेला
ग्राम पंचायत नरगोली
वि० खण्ड जनपद बागेश्वर

(20) चंचल सिंह जौहला

(21) लालू राम

(22) धीरू सिंह

(23) लाल सिंह

(24) प्रेम सिंह

(25) सूरज सिंह

(26) पुष्कर सिंह

(27) गिरधारी सिंह

(28) लक्ष्मण सिंह जौहला

६०

CShautila

०१/०५/११ (११/५/११)
दीर्घादि

०१/०५/११
CShautila

Antela

Antela

Antela

Gudhar Singh
Receivd

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रावतसेरा
तहसील काण्डा- जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है० सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4324 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रावतसेरा द्वारा दिनांक 29-05-2019 ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत रावतसेरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/ [Signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र: रावतसेरा
बि०ख०: बागेश्वर
जनपद: बागेश्वर

[Signature]
ग्राम प्रधान
ह०/

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

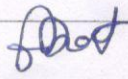
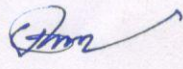
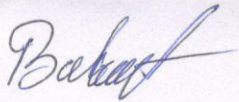
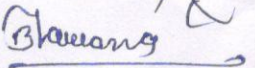
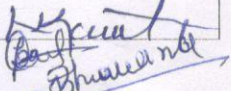
1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-
भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रावतसेरा, तोक मोडा (गँव)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जो कुल सिंह	
2-	सुरेश सिंह	
3	योगेश सिंह	
4	मनोज सिंह	मनोज सिंह
5.	जगमोहन सिंह	
6-	विवेक सिंह	
7-	कपाल सिंह	
8	जीवन सिंह	
9	वसन्ती देवी	वसन्ती देवी
10	कौशल्या रावत	कौशल्या रावत
11	मुन्नी रावत	मुन्नी रावत
12	महेश सिंह	महेश सिंह
13	भावना रावत	भावना रावत
15	कविता	
16	Kavita	
17	भावना रावत	

ग्राम पंचायत
निर्वाहक अधिकारी

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रावतसेरा
तहसील काण्डा- जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है० सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4324 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रावतसेरा द्वारा दिनांक 29-05-19 ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत रावतसेरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० [Signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र : रावतसेरा
बि० ख० : बागेश्वर
जनपद : बागेश्वर

[Signature]
ग्राम प्रधान
ह०/

* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रावतसेरा, तोक शनिघिया

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	आनंद	आनंद
2	कलावती रावल	कलावती रावल
3-	आनंदसिंह	आनंदसिंह
4		
5:	जोषुल सिंह	जोषुल

पंचायत
पंचायत सचिव
पंचायत सचिव
पंचायत सचिव

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-
भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धारी-II
तहसील काण्डा- जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

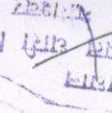
जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है० सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4324 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारी-II द्वारा दिनांक 29-05-19 ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत धारी-II के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० / 
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र : धारी-II
जिला बागेश्वर
जनपद: बागेश्वर


ह० /
ग्राम प्रधान
जानकी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत धारी-II

* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो सन्तुष्टानुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-
भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारी II, तोक जोग्यूडाबाज

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजू राम	राजू राम
2-	तारा राम	तारा
3	शेर राम	शेर राम
4	गोपाल राम	गोपाल
5	चापू राम	चापू
6	सुनील राम	सुनील राम
7	पुन राम	पुन
8	फकीर राम	फकीर राम
9	भरत राम	भरत राम
10	पवन राम	पवन राम
11		
12		

जानकी देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत धारी II
20 मई

29/05/2019
11 11/05/2019
2019

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दारी-II
तहसील काण्डा- जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4324 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दारी-II द्वारा दिनांक 29-05-19 ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 [Signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र: दारी-II
जिला: बागेश्वर
जनपद: बागेश्वर

जानकी देवी
प्रधान
ह0/ 11
ग्राम पंचायत
बागेश्वर प्रधान

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-30.1

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत हारी, तोक कफली

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजन सिंह	राजन
2-	कृपाल सिंह	कृपाल
3-	पूरन सिंह	पूरन सिंह
4-		
5	वल्लत सिंह	वल्लत सिंह
6-	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह

जानकी देवी

प्रधान
श्रीम. पद्मायत धारी
-० नं०- साग

ARCHIVE OF OF

11 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कांडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- कांडा

उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वनभूमि, 0.4624 है०, सिविल सोयम वन भूमि, 1.9718 है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 2.4342 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कांडा की दिनांक 28.10.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रेखा कोहली, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्रीमती रेखा कोहली	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री के०एस०रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री कुन्दर सिंह बोरा	बी०डी०सी० क्षेत्र टकना	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.4342 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत नरगोली-सिमायल-भंडारी-~~सलिया~~-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-
सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-
-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.4342 है० वन भूमि लोक निर्माण
विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र
निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार
परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही
है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 30.10.2015

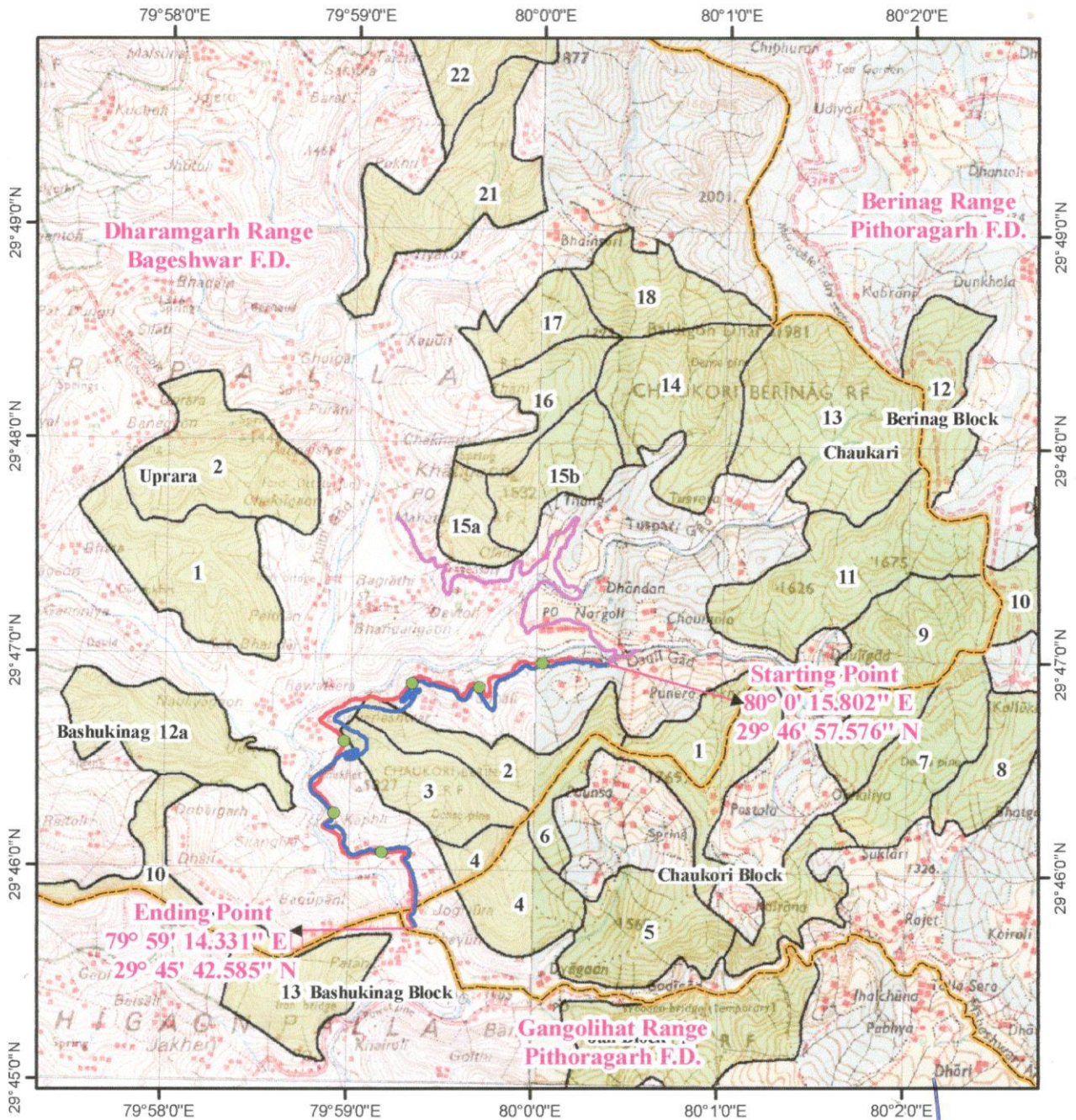
(भूपाल सिंह मुन्नाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत
नरगोली – सिमायल –भण्डारीगोंव – सलिया-जग्यूड़ा बास मोटर मार्ग के
निर्माण हेतु (लम्बाई – 7.00 किमी०)

0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

प्रभासीय विभाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

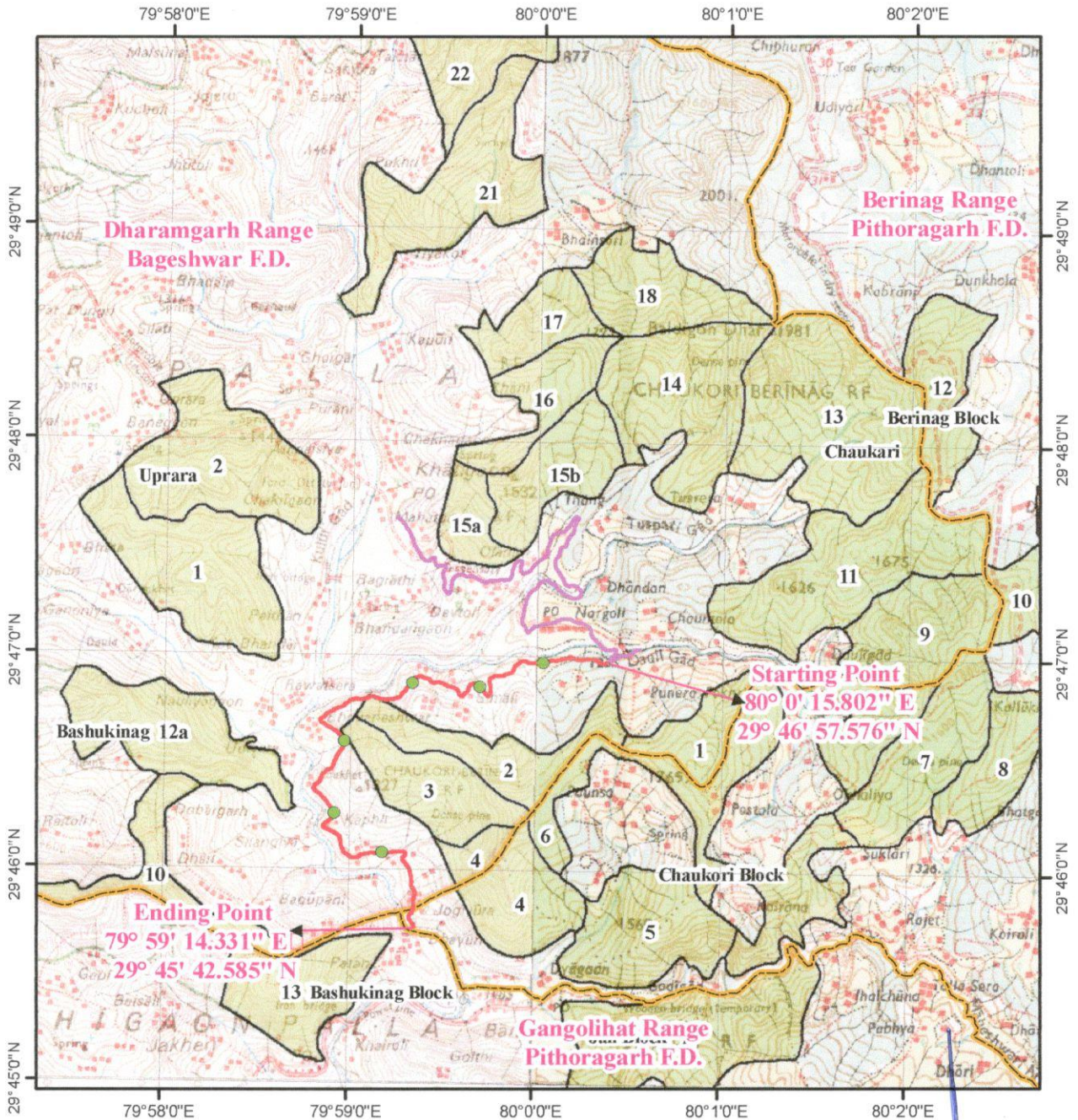
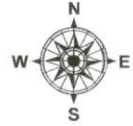
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत नरगोली – सिमायल –भण्डारीगँव – सलिया-जग्यूड़ा बास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई – 7.00 किमी०)

0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

प्रभारी वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

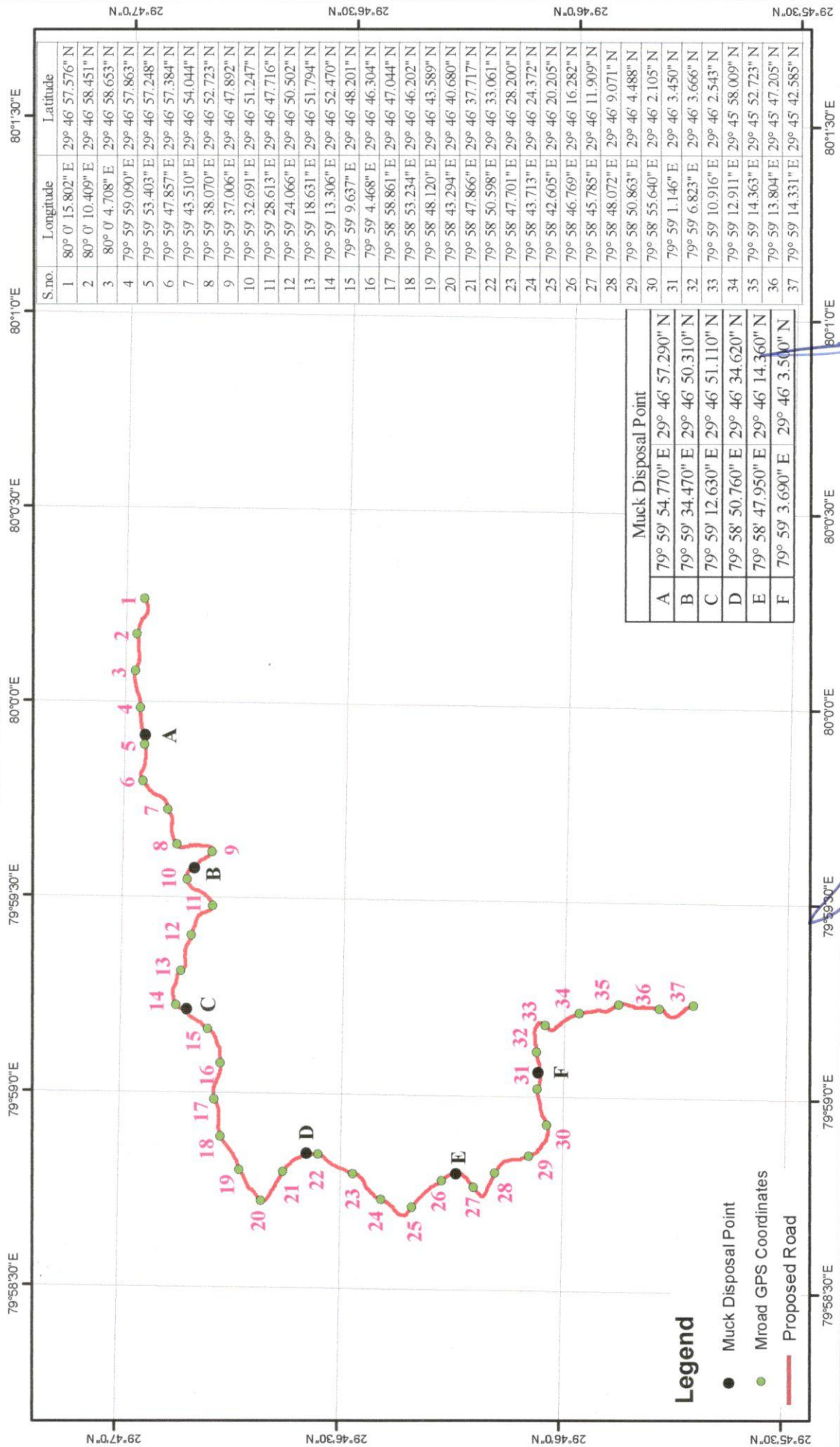
सहायक अभियन्ता
जनपद बागेश्वर
बागेश्वर

अधीक्षक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

जीयोरेफरेन्स मैप – जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत नरगोली – सिमायल –
भण्डारीगोंव – सलिया-जग्यूड़ा बास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई – 7.00 किमी0)



Scale - 1:15,000
0 0.25 0.50 1.0 Km



Legend

- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road

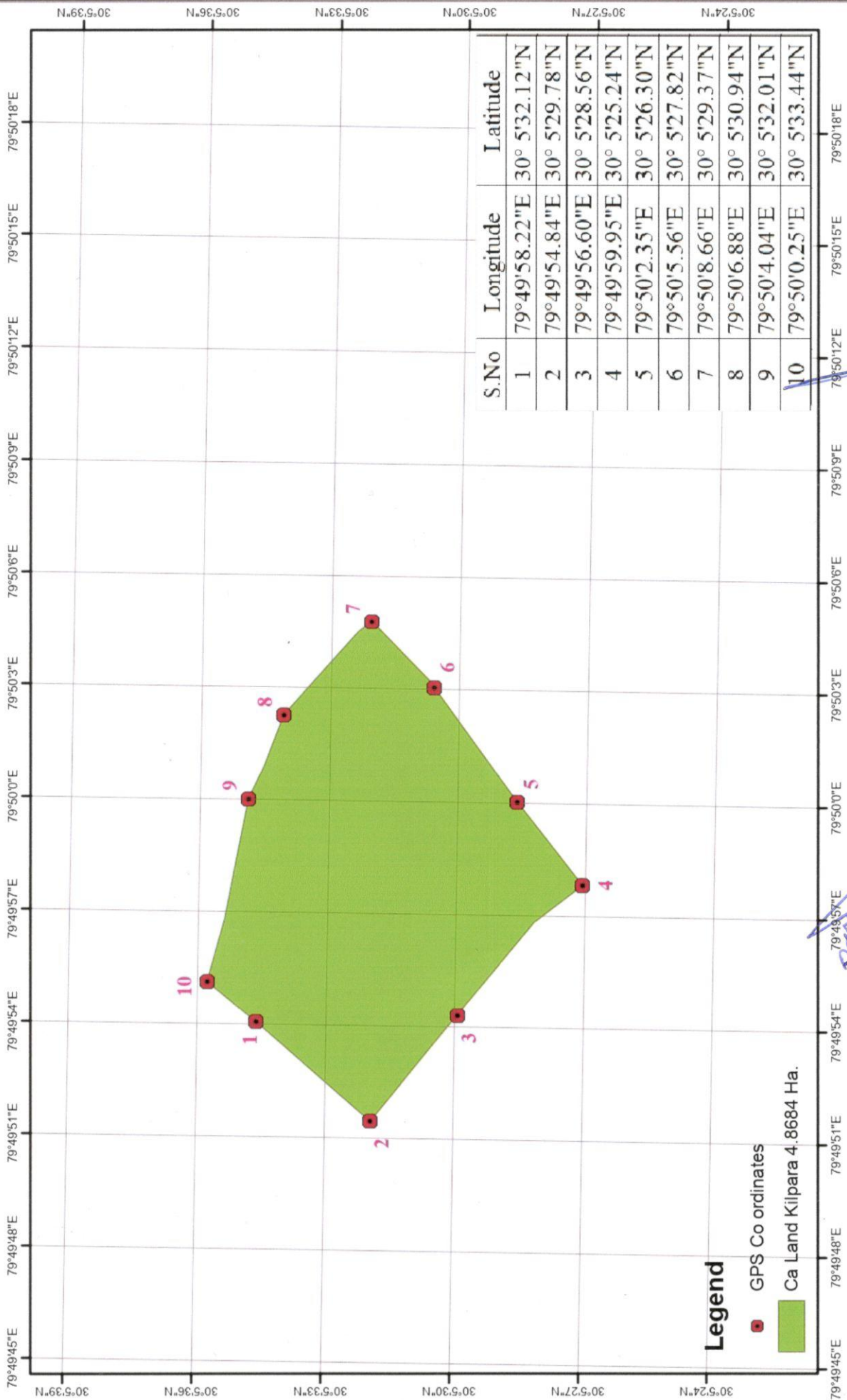
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

अधिराशी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

जीयोरिफेरेंस मैप - जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत नरगोली - सिमायल
- भण्डारीगोंव - सलिया-जग्यूड़ा बास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण
स्थल (ग्राम-किलपारा, क्षेत्रफल- 4.8684 है०)

0 0.05 0.1 0.2 Km
Scale - 1:3,500



प्रभासी बगलिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

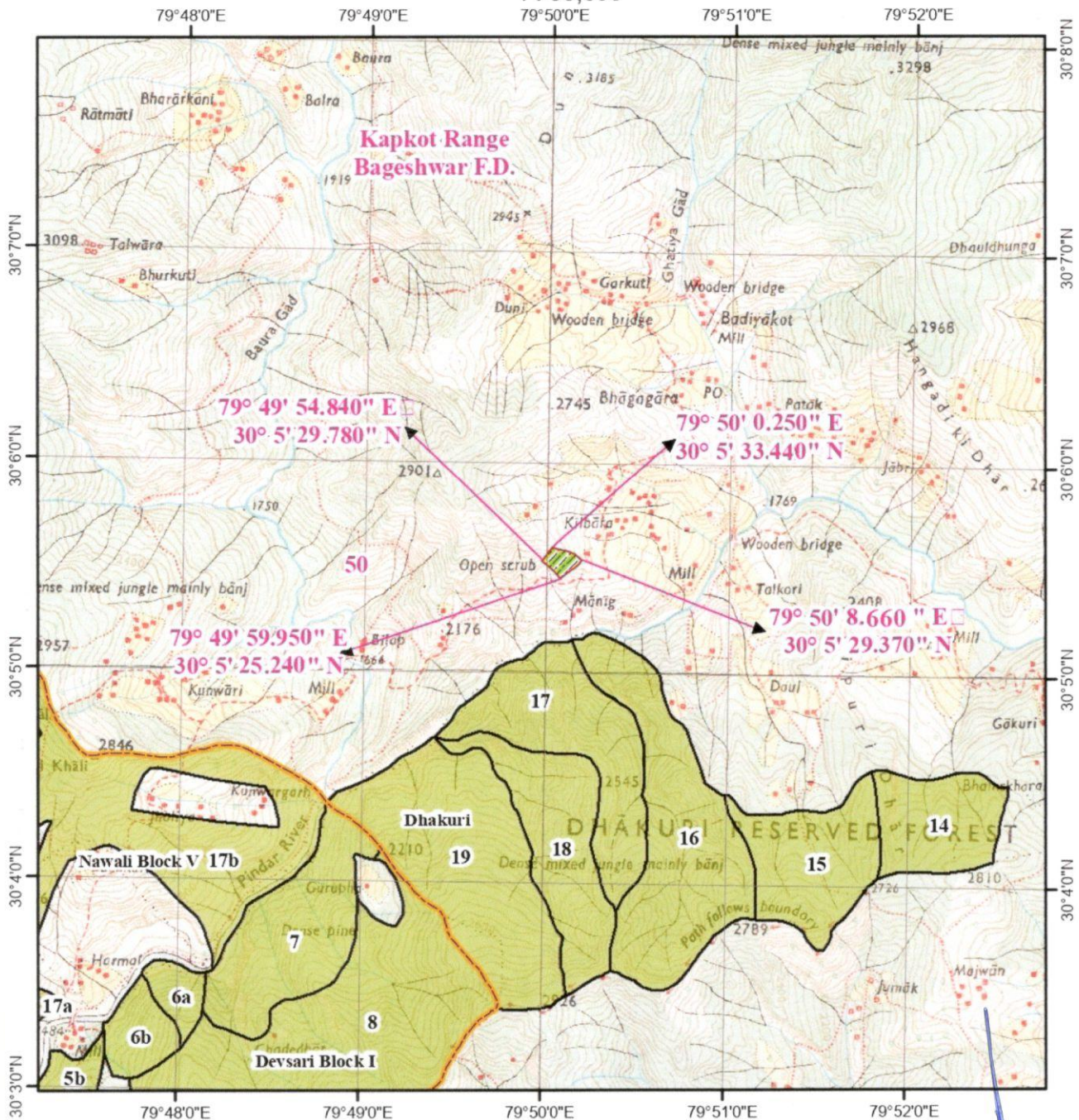
अधिराष्ट्री अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

संख्यक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत
नरगोली – सिमायल-भण्डारीगोंव – सलिया-जग्यूड़ा बास मोटर मार्ग के
निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपणस्थल (ग्राम-किलपारा,
क्षेत्रफल- 4.8684 है०)

0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000



Legend

- Proposed Plantation Kilpara Civil 4.8684 Ha.
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर